

प्रेस नोट

दिनांक 17.02.2025

**25000 रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे 01 अदद तमंचा 312 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर से बरामद-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.12.2025 को थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर कि सूचना पर सिपाह से पाती रोड़ जाने वाली नहर के पास से मु0अ0स 225/25 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मधुबन मे वांछित 25000 रुपये इनामिया अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र मुस्तफा निवासी रामपुर खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद तमंचा 312 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर बरामदगी व फर्द बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 408/25 बारा 3/25 A Act थाना मधुबन जनपद मऊ बनाम धर्मेन्द्र पुत्र मुस्तफा निवासी रामपुर खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।

**अभियुक्त का विवरण-**

1. धर्मेन्द्र पुत्र मुस्तफा निवासी रामपुर खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ ।

**पंजीकृत अभियोंग-**

1. मु0अ0स0 225/25 धारा 3(1) यूपी० गैंगेस्टर एक्ट थाना मधुबन
2. मु0अ0सं0 408/25 बारा 3/25 A Act थाना मधुबन जनपद मऊ ।

**बरामदगी का विवरण –**

1. एक अदद तमंचा 312 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर ।

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. उ.नि. दिलीप कुमार पटेल
2. का० नीरज यादव
3. पंकज यादव

## **15000 रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार -**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.12.2025 को थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान ३० नि० हरिकेश यादव मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिर्जाहादीपुरा में मुखबिर खास ने आकर सूचना की अप्रैल माह में हूई भारी मात्रा कुल ७७४ पेटी कुल मात्रा ६७६२ ली० शराब बरामदगी में वांछित इनामिया अभियुक्त कचहरी को जाने वाली रोड से कलेक्ट्रेट को जाने वाली रोड पर स्थित तालाब के पास खड़ा है, मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर मौजूद पुलिस बल को साथ में लेकर कचहरी के लिए चल दिये कि कचहरी रोड से कलेक्ट्रेट जाने वाली रोड के मोड़ पर खड़ा होकर मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि वही एक व्यक्ति बैठा हुआ है, मुखबिर खास हट बढ़ गया तथा पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए, बैठे हुए व्यक्ति के पास पहूंचे तो बैठा व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर सकपका कर उठकर जाना चाहा की मौके पर ही पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मो० हनीफ पुत्र मो० रईश खान सा० पकरिया नौगवां थाना सुनगरी पीलीभीत बताया । पकड़ा गया व्यक्ति थाना दक्षिण टोला पर पंजीकृत ४९/२०२५ धारा ६०/६३/७२ EX. ACT व ३१९(२)/३१८(४) बी०एन०एस० में वांछित १५००० रुपये का इनामिया अभियुक्त है, जिसको कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब १३.१० बजे कलेक्ट्रेट रोड पर स्थित तालाब के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । उल्लेखनीय है कि दिनांक ०१.०४.२०२५ को थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत मतलूपुर मोड़ से एक ट्रक पकड़ी गयी थी, जो शराब से भरी हूई थी, जिसमें कुल विभिन्न ब्राण्ड की अग्रेजी शराब कुल ७७४ पेटी कुल मात्रा ६७६२ ली० बरामद हूई थी, जिसमें पूर्व में एक अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, आज पकड़ा गया अभियुक्त मो० हनीफ उपरोक्त तभी से लगातार फरार चल रहा था । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय द्वारा १५००० रु० का पुरस्कार भी घोषित किया गया था । अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

१. मो० हनीफ पुत्र मो० रईश खान सा० पकरिया नौगवां थाना सुनगरी पीलीभीत

### **अभियोग की विवरण –**

१. मु०अ०सं० ००४९/२०२५ धारा ६०/६३/७२ EX. ACT व ३१९(२)/३१८(४)

बी०एन०एस०थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

## **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1. उ0नि0 हरिकेश यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. का0 सौरभ यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. का0 आशीष कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

**मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार - पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनाक 17.12.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर डुमरांव मोड़ के पास से मु0अ0सं0 296/25 धारा 137(2), 87, 64(1) बी.एन.एस व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना सरायलखन्सी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गोविन्द कुमार पुत्र आशाराम निवासी बरौना थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।**

## **अभियुक्त का विवरण-**

1. गोविन्द कुमार पुत्र आशाराम निवासी बरौना थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

## **पंजीकृत अभियोंग-**

1. मु0अ0सं0 296/25 धारा 137(2), 87, 64(1) बी.एन.एस व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना सरायलखन्सी

**मिशन शक्ति**” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार - पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय सिंह के नेतृत्व में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनाक 17.12.2025 देखभाल क्षेत्र व पतागरसी सुरागरसी में अभियुक्त के घर से मु0अ0सं0 408/25 धारा 137(2)/64(1)/87 बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना हलधरपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त कृष्णा राजभर पुत्र लालू राजभर ग्राम शीशवार कला (डेरा) थाना नगरा जनपद बलिया को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय मऊ रखाना किया गया ।

#### **पंजीकृत अभियोंग-**

1. मु0अ0सं0 408/25 धारा 137(2)/64(1)/87 बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना हलधरपुर जनपद मऊ ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त –**

1. कृष्णा राजभर पुत्र लालू राजभर ग्राम शीशवार कला (डेरा) थाना नगरा जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष

#### **गिरफ्तार करने वाले टीम –**

1. उ0नि0 राहुल कुमार
2. हे0का0 बृजेश कुमार
3. म0आ0 विनीता प्रजापति

#### **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 84 बीएनएसएस के तहत की गयी कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ महोदय श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर मऊ श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे जो काफी दिनों से फरार चल रहे थे। अभियान के तहत मुकदमों में वाँछित/पुरुस्कार घोषित व गैर ज़मानती वारण्टी की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ व उ0नि0 योगेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 16.12.2025 को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मु0अ0सं0 426/25 धारा 377, 323, 506 भादवि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट में वाँछित अभि0 दानिश पुत्र अकबर उर्फ मिन्टू नि0 हट्टी मदारी

थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट सं०-१ जनपद मऊ में लम्बे समय से उपस्थित / हाजिर नहीं हो रहा है। जिसके विरुद्ध धारा 84 BNSS का तामीला व मुनादी डुगडुगी बजाकर मुहल्ला हट्टी मदारी व आसपास कराया गया।

**फेसबुक विज्ञापन के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गया 60,000/- रु० कुल धनराशि (साठ हजार ) रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए फेसबुक विज्ञापन के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गया 60000 (साठ हजार) रुपये, पीडित महेन्द्र यादव पुत्र कवलदेव यादव निवासी तिपक्काबाद थाना मु०बाद गोहना मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 60000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

### **बरामदकर्ता पुलिस टीम-**

1. प्र०नि० कमलकांत वर्मा
2. व०उ०नि० मधूसूदन चौरसिया
3. क०आ० संजय गुप्ता
4. म०आ० प्रिया सिंह
5. म०आ० शालिनी मौर्या समस्त पुलिस बल थाना मु०बाद गोहना जनपद मऊ